ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-11*December- 2021
Innovation The Research Concept

मनुस्मृति में वर्णित स्त्री दशा : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

The Condition of Women Described In The Manusmriti: A Sociological Analysis

Paper Submission: 10/12/2021, Date of Acceptance: 20/12/2021, Date of Publication: 21/12/2021

अवधेश कुमार झा
एसोसिएट प्रोफेसर,
समाजशास्त्र विभाग
हे० न० ब० राज० स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नैनी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। किसी समाज या काल की उन्नति-अवनति उसमें स्थित स्त्रियों की दशा के आधार पर बतलाई जा सकती है। वैदिक काल में स्त्रियों की दशा गौरवपूर्ण और सम्मानजनक थी। मनुस्मृति में सभी वर्णों के संबंधों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अध्ययन से तत्कालीन स्त्रियों की समाज में स्तिथि पर भी पर्याप्त प्रकाश परता है। मनुस्मृति में स्त्रियों की दशा के सम्बन्ध में कई विरोधाभास भी हैं। आधुनिक युग में स्त्री और पुरुष दोनों में कोई भेद नहीं देखा जाता। पुरुषों के सामान ही स्त्रियों को भी सभी अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त हैं।

Since ancient times, in Indian culture, woman has been considered a symbol of power. The progress or decline of a society or period can be told on the basis of the condition of the women in it. The condition of women in the Vedic period was dignified and dignified. The Manusmriti gives a detailed description of the relationships of all the varnas.Through this study, sufficient light is also shed on the condition of women in the society of that time. There are also many contradictions in the Manusmriti regarding the condition of women. In the modern era, no distinction is seen between both men and women. Like men, women also have all the rights and freedoms.

मुख्यशब्द : भारतीय संस्कृति, अर्धांगिनी, असहाय, नारीशक्ति, स्त्री-दशा, वैदिक काल, वर्ण, आदर, स्त्रीधन, सम्पति, वस्त्राभूषण, स्मृतिकाल, स्वतंत्रता, बाल्यावस्था, बलात्कार, पूज्यनीय, अवनति, प्रसन्ता, धर्मार्थ, वचन, कर्म, सम्मान, पूजा, त्रिवर्ग, सुख-शांति ।

Keywords: Indian culture, Ardhangini, helpless, women power, women's condition, Vedic period, Varna, respect, woman wealth, wealth, clothing, memory, freedom, childhood, rape, revered, decadent, happy, charitable, word, deed, respect, worship, Trinity, happiness and peace.

प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना गया है। वह सृष्टि की मूल है। वह पुरूष की अर्धांगिनी है। उसके बिना पुरूष अकेला, असहाय है। वह पुरूष को शक्ति एवं प्रेरणा प्रदान करती है। यह प्रेरणा कभी माता के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में होती है।

किसी समाज या काल की उन्नति-अवनति उसमें स्थित स्त्रियों की दशा के आधार पर बतलाई जा सकती है। यदि समाज में स्त्री दशा उन्नत है, उसे आदर, सत्कार और अधिकार प्राप्त है, तो वह समाज विकसित है। इसके इतर उसको उन्नत नहीं माना जा सकता है।

वैदिक काल में स्त्रियों की दशा गौरवपूर्ण और सम्मानजनक थी, उसे पुरूष की सहधर्मचारिणी माना जाता था। वह यज्ञ में भाग ले सकती थी। पति के साथ युद्ध भूमि में भी जाती थी। ऋग्वेद में पत्नी को गृहलक्ष्मी माना गया है। उसे कुल की वृद्धि का मूल माना गया है। स्त्री से सुशोभित घर को ही वस्तुतः घर कहा जाता है। पंचतंत्र में तो बिना स्त्री के घर को जंगल के समान माना गया है।

मनुस्मृति आचार्य मनु द्वारा रचित एक आचार शास्त्र है। इसमें सभी वर्णों के सम्बन्ध में विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। इसके अध्ययन से तत्कालीन स्त्रियों की समाज में स्थिति पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आचार्य मनु ने कहा है कि जिस परिवार में स्त्री से पति खुश रहता है तथा पति से स्त्री प्रसन्न रहती है उस परिवार में लोगों का कल्याण होता है-

सन्तुष्टो भार्यया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव व च।
यस्मिन्नेव कुले नित्यं, कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्॥

इस काल में स्त्रियों को समाज में आदर की दृष्टि से देखा जाता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहां पर स्त्रियों की पूजा होती है उनका आदर सम्मान होता है वहां पर सारे देवता निवास करते हैं और जहां ऐसा नहीं होता वहां पर सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है-

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।
यत्रैतास्तु न पूजयन्ते, सर्वास्तत्राफलः क्रियाः॥

वैदिक काल में स्त्रियों को पति की सम्पत्ति में पूरा अधिकार था फिर भी मुनष्य की अपेक्षा स्त्री के अधिकार सीमित थे। मनुस्मृति में छः प्रकार के स्त्री धर्म का वर्णन किया गया है। विवाह में अग्नि के सम्मुख जो धन दिया जाये, पतिगृह जाते समय मायके से जो धन मिले, प्रीतिकर्म में प्राप्त धन, भाई माता तथा पिता से प्राप्त धन, स्त्री धन पर सन्तान का अधिकार होता था। पुत्रहीन पिता की सम्पत्ति पर पुत्री का पूरा अधिकार था। आचार्य मनु कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी पत्नी का भरण-पोषण करना चाहिए ऐसा न करने पर उसे राज्य की ओर से अर्थ दण्ड लगा देना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि पति विदेश जा रहा हो तो उसे अपनी पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करके जाना चाहिए।

मनु में पति की सम्पत्ति पर पत्नी का अधिकार बताया गया है। पति के रहने पर अथवा उसकी मृत्यु हो जाने पर पति तथा उसके सम्बन्धियों से प्राप्त धन सम्पत्ति, वस्त्रभूषण आदि पर पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है-

स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः।
नारीयानानि वस्त्रं वा ते पापाः मान्त्यधोगतिम्॥

वैदिक कालीन स्त्रियों लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, इन्द्राणि आदि की स्थिति अत्यन्त उन्नत थी। इनकी अपेक्षा स्मृतिकाल में स्त्रियों की स्थिति में न्यूनता आ गयी थी। मनुस्मृति काल में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की दशा दयनीय थी।

मनुस्मृति में स्त्रियों की दशा के सम्बन्ध में कई विरोधाभास मिलते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों को कोई भी कार्य अपनी स्वतंत्रता से नहीं करना चाहिए-

बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता।
न स्वातन्र्येण कत्र्तव्यं किञ्चित्कार्य गृहेष्वपि।

स्त्री को बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और पति के न रहने पर पुत्रों के अधीन रहने के लिए कहा गया है। उसे कभी स्वतंत्र न रहने के लिए कहा गया है -

बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत्पाणिग्राहस्य यौवने।
पुत्राणां भर्तरि पे्रेते न भजेत्स्त्री स्वतन्त्रताम्॥

आधुनिक युग में स्त्री और पुरूष दोनों में कोई भेद नहीं। पुरूषों के समान ही स्त्रियों को भी सभी अधिकार और स्वतंत्रता प्राप्त है। आज कई स्थानों पर तो स्त्रियां पुरूषों से बहुत आगे हैं।

मनुस्मृति काल में स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं थी। मनुस्मृति में कहा गया है कि पति में चाहे जितने अवगुण हों पर फिर भी पत्नी उसे देवता की तरह पूजनीय माने -

अशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः।
उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत्पतिः॥

मनुस्मृति में स्त्रियों को साक्षी के रूप में अविश्वसनीय माना गया है, क्योंकि उनकी बुद्धि को स्थिर नहीं माना गया है -

एको.....लुब्धस्तु साक्षी स्याद्ब्रह्मयः शुच्यो.....पि न स्त्रियः।
स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वाच्च दौषैश्चान्ये.....पि ये वृत्ताः॥

मनुस्मृति में सभी वर्णों की स्त्रियों के रक्षा का उपदेश दिया गया है ऐसा न करने पर उचित दण्ड का भी विधान किया गया है -

अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणान्तं दण्डमर्हति।
चतुर्णामपि वर्णानां दाराः रक्ष्यतमाः सदा॥

कन्या से बलात्कार करने पर बलात्कारी को मृत्युदण्ड की व्यवस्था दी गयी है -

यो.....कामां दूषयेत्कन्यां स सद्यो वधमर्हति।

मनुस्मृति में सन्तान उत्पन्न करने में समर्थ स्त्री को लक्ष्मी के समान पूजनीया बताया गया है-

प्रजनार्थ महाभागाः पूजार्हाः गृहदीप्दयः।
स्त्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषो...स्ति कश्चन॥

स्त्री के विधवा हो जाने पर वह देवर से विवाह कर सकती है -

यस्याः म्रियेत कन्यायाः वाचा सत्ये कृते देवरः॥

कोई भी परिवार, समाज या राष्ट्र तभी वृद्धि को प्राप्त कर सकता है जब वहाँ रहने वाली स्त्रियां सुखी और सम्पन्न होंगी। इसलिए हमें स्त्रियों का समुचित आदर तथा सम्मान करना चाहिए। मनु ने भी कहा

है कि जिस परिवार या कुल में स्त्री दुःखी रहती है, उस परिवार की अवनति हो जाती है तथा जहां पर स्त्री प्रसन्न रहती है वह परिवार निरन्तर उन्नति को प्राप्त होता है -

शोचन्ति जामयो यत्र विनशत्याशु तत्कुलम्।
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा।

लोक व्यवहार, सन्तान उत्पत्ति, धर्मानुष्ठान, सेवाकार्य, पितरों की तृप्ति तथा अपना सुख आदि स्त्री के ही अधीन है-

उत्पादनमपत्यस्य जातस्य परिपालनम्।
प्रत्यहं लोकयात्रयाः प्रत्यक्षं स्त्रीनिबन्धनम्॥
अपत्यं धर्मकार्याणि शुश्रुषा रतिरूत्तमा।
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पितृणामात्मनश्य हि॥

बृहत्पाराशर स्मृति में भी कहा गया है कि व्यक्ति की आयु, धन यश तथा सन्तान स्त्री की प्रसन्नता के अधीन हैं, जहां स्त्री प्रसन्न नहीं रहती है वहां ये सब नष्ट हो जाते हैं।

इस प्रकार मनुस्मृति में स्त्रियों की दशा के विषय में विरोधाभास दृष्टिगत होता है। कहीं पर उसे पुरूष की अर्धांगिनी, धर्मार्थकाम रूपी त्रिवर्ग का आधार, गृह लक्ष्मी तथा समस्त सुखों का मूल बताया गया है तमाम विराधाभासों के बाद भी आचार्य मनु ने परिवार एवं समाज की उन्नति तथा अवनति स्त्रियों की प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता पर ही निर्भर माना है तथा अनेक अवसरों पर वस्त्राभूषण आदि के माध्यम से स्त्री की पूजा का निर्देश किया है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. प्राचीन भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्वरुप।
2. किसी समाज की उन्नति या अवनति में स्त्रियों का योगदान।
3. मनुस्मृति में स्त्रियों की सामाजिक भागीदारी का वर्णन।
4. मनुस्मृति में संपत्ति पर पत्नी का अधिकार।
5. मन, वचन एवं कर्म से स्त्रियों का समुचित आदर।
6. आधुनिक युग में स्त्री और पुरुष दोनों में समानता का स्तर।

निष्कर्ष

अन्त में यह कहना सर्वथा उचित है कि स्त्री के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व हीं नहीं है। स्त्री हैं तो हम हैं, स्त्री सुखी है तो हम सुखी हैं। अतः यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार, समाज और राष्ट्र का सम्यक् उत्थान् हो, तो हमें आचार्य मनु के 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः।' इस पवित्र उद्घोष का मन, वचन तथा कर्म से पालन करते हुए स्त्रियों का समुचित आदर तथा सम्मान करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *ऋग्वेद - 3/53/4*
2. *पंचतंत्र -3/145*
3. *मनुस्मृति - 3/60*
4. *मनुस्मृति - 9/194*
5. *मनुस्मृति - 9/131-32*
6. *मनुस्मृति - 3/52*
7. *मनुस्मृति - 5/151*
8. *मनुस्मृति - 5/157*
9. *मनुस्मृति - 8/358*
10. *मनुस्मृति - 9/26*
11. *मनुस्मृति - 3/57*
12. *वृहत्पाराशर स्मृति - 6-43*
13. *मनुस्मृति - 3/59*